राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लाट नं. 6, एवरेस्ट कॉलोनी, एपेक्स मॉल के पास, लाल कोठी, जयपुर।
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804, 2988946

क्रमांकःपैरामेडि.कौं / संस्था / 2020 / 603 जयपुर, दिनांकः 14/03/2020

कार्यालय आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करने तथा केन्द्र सरकार की ओर से जारी की गई एडवायजरी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 30 मार्च, 2020 तक राज्य के समस्त राजकीय व निजी मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल कॉलेजों में शिक्षण कार्य बन्द रहेंगे।

समस्त राजकीय व निजी मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल कॉलेज / संस्थान निम्न निर्देशों की कठोरता से पालना करें–

1. कौंसिल के अधीन समस्त राजकीय व निजी मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल कॉलेज / संस्थान में दिनांक 30 मार्च, 2020 तक शिक्षण कार्य बन्द रहेगा।
2. कौंसिल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार यथावत रहेंगी।
3. सभी प्रकार के सेमीनार, वर्कशॉप, कान्फ्रेन्स इत्यादि दिनांक 30 मार्च, 2020 तक स्थगित रखे जावेंगे। किसी प्रकार के उत्सव में छात्र–छात्राओं को एकत्रित नहीं किया जावे।
4. कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित की जावे।

सभी राजकीय व निजी मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल कॉलेज / संस्थान पालना सुनिश्चित करावें।

14/3/2020
(सोमदर्शी दीक्षित)
रजिस्ट्रार

क्रमांकःपैरामेडि.कौं / संस्था / 2020 / 603 जयपुर, दिनांकः 14/03/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर
2. शासन उपसचिव (ग्रुप–3), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर
3. अध्यक्ष, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर व निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान
4. प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय व निजी मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल कॉलेज / संस्थान, राजस्थान
5. रक्षित पत्रावली।

14/3/2020
रजिस्ट्रार

Scanned by CamScanner